



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3338/SEIAA/2022

Date: 16/3/22

प्रति,

श्री आनंद शर्मा आत्मज श्री आर.डी. शर्मा,
निवासी टैम्पल कैम्पस, डुमरिया, तहसील रूपवासी,
जिला भरतपुर (राजस्थान)

विषय:-प्रकरण क्रमांक 8956/2022 - परियोजना प्रस्तावक, श्री आनंद शर्मा आत्मज श्री आर.डी. शर्मा, निवासी टैम्पल कैम्पस, डुमरिया, तहसील रूपवासी, जिला भरतपुर (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 25,000 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 315, 371/1, रकबा 1.70 हेक्टेयर, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 1702 दिनांक 16.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में दो अन्य खदान स्वीकृत जिसका कुल रकबा 3.151 हेक्टेयर होना दर्शित है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 03 अन्य खदान जिसका कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर से अधिक होना परिलक्षित है, जिस कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें कि वह बी-1 श्रेणी के अंतर्गत ToR हेतु नवीन आवेदन करें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को निरस्त किया जाता है एवं बी-1 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर ToR हेतु नये सिरे से ऑनलाईन आवेदन किया जाये।

पृ.क्र. 3338(A) /SEIAA/2022

दिनांक - 16/3/22

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी